रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09082023-247988
CG-MH-E-09082023-247988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2023/श्रावण 18, 1945
No. 557] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023/SHRAVANA 18, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 अगस्त, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/142.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ञख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23ञक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19झक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम 17 जनवरी, 2023 से लागू हुए माने जाएंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 में, विनियम 23 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा –

"(2क) यदि किसी मामले में निर्धारित कार्यवाहियाँ या तो शुरू की जा सकती हों या फिर शुरू किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल मंजूर की गई निपटारे की शर्तों आदि के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा करेगा ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./339/2023-24]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2018/48 द्वारा, 30 नवम्बर 2018 को (1 जनवरी 2019 से लागू) भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 तत्पश्चात्:-
   i. 22 जुलाई 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.टी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/24, द्वारा
   ii. 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/62, द्वारा
   iii. 17 जनवरी 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/118, द्वारा

   संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th August, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT PROCEEDINGS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/142.—In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall be deemed to have come into force from January 17, 2023.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, in regulation 23, after sub-regulation 2, following sub-regulation shall be inserted-

   "(2A) In case of specified proceedings which may be initiated or are proposed to be initiated, the Panel of Whole Time Members shall dispose of such proceedings on the basis of the approved settlement terms."

BABITHA RAYUDU, EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./339/2023-24]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on November 30, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/48, with effect from 1st day of January 2019.
2. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were subsequently amended on: -
   i. 22nd July 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/24.
   ii. 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/62.
   iii. 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/118.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.09 22:33:43 +05'30'